

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस.
मि०न० - 03/2018

1. भागचंद पुत्र भूपशिव जाति जाट निवासी वार्ड नं. 20 भादरा तहसील भादरा।
- वादी

ब नाम

1. हरीशिव पुत्र जगमाल (फौत) जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
1ए बनवारी
1बी राजेन्द्र
1सी केशर
1डी कमला
1ई गुडडी
1एफ लिलों
1जी सन्तरोँ } पुत्र- पुत्रियान हरीशिव जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. औमप्रकाश } पिसरान किशनाराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
3. रूकमा }
4. सन्तोषदेवी पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
5. तारावती }
6. कान्ताकुमारी } पुत्रिया लीलाधर जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
7. रेणु कुमारी }
8. वाला कुमारी }
9. जमना }
10. रजनी }
11. शंकरो पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
12. सुरेश कुमार }
13. छोटुराम } पुत्रान मनीराम जाति जाट निवासीगण डूंगराना त० भादरा।
14. रमेश }
15. मंजू पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
16. जवाहरलाल }
17. इन्द्राजसिंह } पिसरान चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
18. सरजीतसिंह }
19. मनोहरलाल }
20. शान्तिदेवी पुत्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
21. राममूर्ति पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा त० भादरा।
22. बनवारीलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।
23. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक त० भादरा।
24. एस.बी.आई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक त० भादरा।
25. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत जोत विभाजन अन्तर्गत
धारा 53 आर टी एक्ट 1955**

आज यह वाद मुझ श्री सत्यनारायण सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव तथा वकील प्रतिवादीगण विनोद कालेरा की उपस्थिति में सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के माध्यम से प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा डूंगराना के खाता संख्या 484/484 के खसरा नं. 175/02 की 12.141 हैक्टर, खसरा नं. 289 की 14.290, खसरा नं. 448 की 4.464 कुल 30.895 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी के नाम 2.287 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2,3 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 ता 10 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 ता 19 का 6/35 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 का



2/7
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा


1/35 हिस्सा प्रतिवादी सं 21 का 1/25 हिस्सा प्रतिवादी सं 22 का 2.656 हैक्टर खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार राजेश भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि रोही मौजा डूगराना के खाता संख्या 484/484 के खसरा नं. 175/02 की 12.141 हैक्टर, खसरा नं. 289 की 14.290, खसरा नं. 448 की 4.464 कुल 30.895 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी के नाम 2.287 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 6.179 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2, 3 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 ता 10 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 ता 19 का 6/35 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 का 1/35 हिस्सा प्रतिवादी सं. 21 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 22 का 2.656 हैक्टर खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 24.08.2020 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

हिस्सा वादी भागचंद वल्द भूपसिंह जाट सा. भादरा :- रोही मौजा डूगराना के वर्तमान खाता संख्या 524 के खसरा नं. 289/1 की 2.287 हैक्टर बाराणी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में हरा रंग के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादीगण रोही मौजा डूगराना के खाता संख्या 524 के खसरा नं. 175/2 की 12.141, 289 की 12.003, 448 की 4.464 कुल किता 3 की 28.608 हैक्टर. बाराणी कृषि भूमि में

:- बनवारी, राजेन्द्र पि० हरिसिंह 5.2963 है०, केसर देवी पुत्री हरिसिंह 0.8827 है०, शंकरो पत्नी स्व. मनीराम, सुरेश कुमार, छोटुराम रमेश मन्जु पि० मनीराम 6.179 हैक्टर, ओमप्रकाश, रूकमा पि. किशनाराम 4.120 हैक्टर, संतोषदेवी पत्नी लिलाधर, तारावती, कान्ताकुमारी, रेणुकुमारी, बालाकुमारी, जमना, रजनी, पि० लिलाधर 2.059 हैक्टर बाराणी, जवाहरलाल, इन्द्राजसिंह, सरजीतसिंह, मनोहरलाल पि० चन्दगीराम 5.296 हैक्टर बाराणी, शान्तिदेवी पत्नी चन्दगीराम कौम जाट साकिन डूगराना 0.883 हैक्टर, राममूर्ति वल्द नेकीराम 1.236 हैक्टर कौम जाट सा. शिवदानपुरा, बनवारीलाल वल्द सहीराम 2.656 हैक्टर कौम जाट सा. कनाऊ खातेदार काश्तकार मुताबिक नक्शा में रंग नीला के अनुसार। किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-2-2021 को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(Handwritten Signature)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा जिला हनुमानगढ

भागचंद बनाम हरीसिंह आदि
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस.

मि०न० - 03/2018

अनवान :-

1. भागचंद पुत्र भूपरिह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 20 भादरा तहसील भादरा।
- वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र जगमाल (फौत) जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
1ए बनवारी }
1बी राजेन्द्र } पुत्र- पुत्रियान हरीसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील
1सी केशर } भादरा जिला हनुमानगढ़।
1डी कमला }
1ई गुडडी }
1एफ लिलों }
1जी सन्तरों }
2. औमप्रकाश } पिसरान किशनाराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
3. रुकमा }
4. सन्तोषदेवी पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
5. तारावती }
6. कान्ताकुमारी } पुत्रिया लीलाधर जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
7. रेणु कुमारी }
8. बाला कुमारी }
9. जमना }
10. रजनी }
11. शंकरो पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
12. सुरेश कुमार }
13. छोटुराम } पुत्रान मनीराम जाति जाट निवासीगण डूंगराना त० भादरा।
14. रमेश }
15. मंजू पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
16. जवाहरलाल }
17. इन्द्राजसिंह } पिसरान चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
18. सरजीतसिंह }
19. मनोहरलाल }
20. शान्तिदेवी पुत्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त० भादरा।
21. राममूर्ति पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा त० भादरा।
22. बनवारीलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।
23. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक त० भादरा।
24. एस.बी.आई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक त० भादरा।
25. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत जोत विभाजन अन्तर्गत

धारा 53 आर टी एक्ट 1955

उपस्थित:- श्री किशनलाल यादव वकील वादी
श्री विनोद कालेरा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:- 29.02.2025

कलक्टर
स्ट ट्रेक) भादरा


दावा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौज डूंगराना के खाता संख्या 484/484 के खसरा नं. 175/02 की 12.141 हैक्टर, खसरा नं. 289 की 14.290, खसरा नं. 448 की 4.464 कुल 30.895 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी के नाम 2.287 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 6.179 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2,3 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 ता 10 का 1/15 हिस्सा,

भागचंद वल्लभ भूपसिंह जाट
प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी सं. 16 ता 19 का 6/35 हिस्सा
प्रतिवादी सं. 20 का 1/35 हिस्सा प्रतिवादी सं. 21 का 1/25 हिस्सा प्रतिवादी सं. 22
का 2.656 हेक्टर खातेदारी राजस्व शिखर में दर्ज है।

वाप पेश होने पर वकील राजेश्वर किशोरा जाकर प्रतिवादीगण की जायें समय
तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 7 ता 17, 18, 20 की ओर से वकील की
विनोद कारेला उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2, 12 ता 14, 16 ता 19, ने अपना जवाब पेश
किया प्रतिवादी एवं वादी अधिकांश ने विभाजित कृषि भूमि की वकालत की है। वकील
से प्राथमिक डिक्री किये जाने पर अनापत्ति जातिर की। वकील सूची नहीं। वकील
वकील समग्र पक्ष ने अच्छी मन्दी के हिसाब से बंटवारा किये जाने पर को विनय
किया।

पञ्चावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा
डूंगराना के खाता संख्या 484/484 के खसरा नं. 175/02 की 12.141 हेक्टर, खसरा नं.
289 की 14.290, खसरा नं. 448 की 4.464 कुल 30.895 हेक्टर खातेदारी कृषि भूमि स्थित
है जिसमें वादी के नाम 2.287 हेक्टर, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा या 6.179
हेक्टर प्रतिवादी सं. 2, 3 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 ता 10 का 1/15 हिस्सा,
प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 ता 19 का 6/35 हिस्सा,
प्रतिवादी सं. 20 का 1/35 हिस्सा प्रतिवादी सं. 21 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 22 का
2.656 हेक्टर खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद
वादी प्राथमिक डिक्री किये जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा डूंगराना के खाता संख्या 484/484 के
खसरा नं. 175/02 की 12.141 हेक्टर, खसरा नं. 289 की 14.290, खसरा नं. 448 की 4.
464 कुल 30.895 हेक्टर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी के नाम 2.287 हेक्टर,
प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्सा या 6.179 हेक्टर प्रतिवादी सं. 2, 3 का 2/15
हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 ता 10 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का 1/15
हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 ता 19 का 6/35 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 का 1/35 हिस्सा
प्रतिवादी सं. 21 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 22 का 2.656 हेक्टर खातेदारी भूमि का
का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक
अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 24.08.2020 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ
पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर
सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर
पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-


हिस्सा वादी भागचंद वल्लभ भूपसिंह जाट सा. भादरा :- रोही मौजा डूंगराना के वर्तमान
खाता संख्या 524 के खसरा नं. 289/1 की 2.287 हेक्टर बारानी कृषि भूमि मुताबिक
नक्शा में हरा रंग के अनुसार।


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
हिस्सा प्रतिवादीगण रोही मौजा डूंगराना के खाता संख्या 524 के खसरा नं. 175/2 की
12.141, 289 की 12.003, 448 की 4.464 कुल कित्ता 3 की 28.608 हेक्टर बारानी कृषि
भूमि में :- बनवारी, राजेन्द्र पि0 हरिसिंह 5.2963 है0, केसर देवी पुत्री हरिसिंह 0.8827 है0,
शंकरो पत्नी स्व. मनीराम, सुरेश कुमार, छोटुराम रमेश मन्जु पि0 मनीराम 6.179 हेक्टर,

भागचन्द बनाम हरिसिंह आदि
ओमप्रकाश, रूकमा पि. किशनाराम 4.120 हैक्टर, संतोषदेवी पत्नी लिलाधर, तारादेवी,
कान्ताकुमारी, रेणुकुमारी, बालाकुमारी, जमना, रजनी, पि० लिलाधर 2.059 हैक्टर कारानी,
जवाहरलाल, इन्द्राजसिंह, सरजीतसिंह, मनोहरलाल पि० चन्दगीराम 5.298 हैक्टर कारानी,
शान्तिदेवी पत्नी चन्दगीराम कौम जाट साकिन डूगराना 0.883 हैक्टर, रामभूती कन्द
नेकीराम 1.236 हैक्टर कौम जाट सा.शिवदानपुरा, बनवारीलाल कन्द सहीराम 2.858 हैक्टर
कौम जाट सा. कनाऊ खातेदार काश्तकार मुताबिक नक्शा में रंग नीला के अनुसार।
किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो दिमाजन के बाद रहन यथावत
रखा जावे। इसी अनुसार पर्या डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्वे कोर्ट
कैम्प डूगराना में सुनाया गया।




सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मादरा R.A.S
मादरा जिला इनुमानगढ़